पर्चा डिक्री

# न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 9/2026

1. गौरा सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्ड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. चरनजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्ड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. गुरनाम कौर पत्नी सरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्ड़ा तहसील व जिला जिला हनुमानगढ़
2. हरपाल कौर पत्नी बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी मुण्ड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. अमनदीप कौर पुत्री बलवीर सिंह पत्नी श्री प्रगट सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड न0 08, मुण्ड़ा, हाल संगीता तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 3/2/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री बलविन्द्र सिंह थिंद व प्रतिवादी वकील निर्माण सिंह खिण्डा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती हैः– चक 8 के.एस.पी. के खाता स० 85/35 में अंकित कुल 3.795 हैक्टेयर भूमि में बलवीर सिंह के नाम से दर्ज 4/15 हिस्सा अर्थात 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी स० 1 गौरा सिंह व तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक 9 के.एस.पी. जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता स0 43/24 में वर्णित 1.332 हैक्टेयर कृषि भूमि का तथा 2 एम. डी. जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता सव 51/48 में अंकित 3.985 हैक्टेयर भूमि में बलवीर सिंह के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा अर्थात 1.328 हैक्टेयर भूमि का वादी स० 2 चरनजीत सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व उक्त चको में बलवीर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी/हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।